न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर

बनाम

अभियुक्त

1. संजय कुमार अरोडा पुत्र श्री मोहनलाल अरोडा,
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता)
   मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही
   निवासी- हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री मोहन लाल अरोडा पुत्र श्री शंकर लाल अरोडा
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
   मैसर्स जगदीश रेस्टोरेन्ट, हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही
   निवासी- 31 अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 31/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

1. अभियुक्त संजयकुमार व मोहनलाल

-: निर्णय :- **दिनांक 20 दिसम्बर, 2017**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 24.10.2016 को समय 8.00 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग हेतु बस स्टेण्ड, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पँहुचा उस समय स्कुटर RJ24 M 6892 वेस्पा स्कूटर पर तीन पीपे जिनमें मावा (खोया) कपडे की डोरी से बंधे हुये थे एवं एक कागज की पर्ची जिस पर प्रेम उपाध्याय, लक्ष्मीनाथ मावा भण्डार, मावा बाजार बीकानेर एवं कागज के पीछे संजय भाई शिवगंज लिखा हुआ था। स्कूटर वाले ने बताया कि उक्त मावा (खोया) संजय भाई, फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, शिवगंज का है। स्कुटर वाले ने अपना नाम लादूसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत होना बताया। फोन कर संजय भाई को मौके पर बुलाया। संजय भाई को मैनें अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। इस पर संजय भाई ने अपना नाम संजय कुमार अरोड़ा पुत्र मोहनलाल अरोडा बताया तथा फर्म का लाईसेन्स अपने पिता मोहन लाल अरोडा पुत्र श्री शंकर लाल अरोडा के नाम से होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पीपों को खोलकर निरीक्षण करने पर मावा (खोया) में मिलावट का शक होने पर जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना फार्म नं. 5ए पर लिखित में गवाहों के सामने दी एवं रसीद प्राप्त

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

की। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाहान के सामने विक्रेता को उसके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 220/- नकद देकर मावा (खोया) को एकरुप कर एक किलोग्राम मावाल (खोया) स्टील की साफ सुखी खाली भगोनी में खरीदा एवं खरीद रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर है। विक्रेता व गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा मावा (खोया) को पुनः एकरुप कर 4 (चार) साफ सूखी खाली प्लास्टिक की चौडे मुंह की शीशीयों में भरकर एयरटाईट बंद करके लेबल तैयार कर प्रत्येक लेबल पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-701 व खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई तथा लेबलों पर गवाहान, विक्रेता व मैनें हस्ताक्षर किये। चारों नमूना शीशीयों पर उक्त लेबल चिपकाये। चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूनों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-701 को नीचे से उपर तक गोद से चिपकाया व प्रत्येक नमूनें को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया व मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर मैनें, गवाहान व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये तथा जिस सील से नमूना S-701 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। तत्पश्चात् कार्यालय पॅहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया एवं जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया एवं नमूना संख्या S-701 व अन्य विवरण अंकित किये। फार्म नम्बर- 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना S-701 भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफावा श्री देवाराम राणा, एम.पी.डब्लयू. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 25.10.2016 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त तथा शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर- 6 का सील बन्द लिफावा दिनांक 24.10.2016 को ही अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक:एफ.एस.एस.ए./2016/351-53 दिनांक 19.1.2017 के संलग्न उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) की जांच रिपोर्ट कमांक/एल.एस./1282/एक्ट/2016/1314 दिनांक 15.11.2016 के प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) का पाया गया है। मेरे द्वारा श्री प्रेम उपाध्याय, मैसर्स लक्ष्मीनाथा मावा भण्डार, बीकानेर को पत्र लिखकर फर्म से संबंधित दस्तावेज मांगे गये थे, लेकिन कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ। मेरे द्वारा संजय कुमार अरोडा को दिनांक

....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

12.5.2017 को पत्र लिखकर लक्ष्मीनाथ मावा भण्ड़ार, बीकानेर का खरीद बिल एवं फर्म के नाम पते चाहे गये, लेकिन उपलब्ध नही करवाये। इस प्रकार, प्रकरण में अभियुक्तगण ने अमानक स्तर (Substandard) का खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्तगण पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 22.12.2017 को अभियुक्त संजय कुमार अरोडा एवं मोहन लाल अरोडा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि मेरे से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का नमूना लिया गया था, यह नमूना जांच रिपोर्ट अनुसार Substandard होना पाया गया है। यह अपराध हम स्वेच्छा से स्वीकार करते है। भविष्य में जनहित में सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का न तो निर्माण करेंगे और न ही विक्रय करेंगे। हमारी पहली गलती मानते हुए कम से कम जुर्माना से दण्ड़ित करावे।

(3) प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 22.12.2017 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से कोई साक्ष्य ली जाना उचित नही पाया गया तथा प्रकरण में दिनांक 22.12.2017 को ही अभियुक्तगण को सुना गया। अभियुक्तगण ने अनुरोध किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का निर्माण इन्होनें नही किया है। मावा बीकानेर से मंगवाया था, लेकिन उसका खरीद बिल हमारे पास नही है। हम भविष्य में अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ का न तो निर्माण करेंगे व न ही विक्रय करेंगे। यह हमारा पहला अपराध है, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर दिनांक 24.10.2016 को समय 8.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु बस स्टेण्ड, शिवगंज पर गये। उस समय वेस्पा स्कूटर नम्बर RJ24 M 6892 पर तीन पीपे जो कपडे की डोरी बंधे थे जिन पर श्री प्रेम उपाध्याय, र्लक्ष्मीनाथ मावा भण्ड़ार, बीकानेर की मुहर लगी हुई थी एवं पाने वाले का नाम संजय भाई, शिवगंज लिखा हुआ था। स्कूटर चालक ने बताया कि उक्त मावा (खोया) संजय भाई, फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, हलवाई बाजार, शिवगंज का है और चालक ने अपना नाम लादू सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, जाति- राजपूत बताते हुए स्वयं को जगदीश रेस्टोरेन्ट का कर्मचारी होना बताया। फोन कर संजय भाई को बुलाया। संजय भाई ने अपना नाम संजय कुमार अरोड़ा पुत्र श्री मोहनलाल अरोड़ा बताया तथा फर्म का लाईसेन्स उसके पिता श्री मोहन लाल अरोडा पुत्र श्री शंकर लाल

....पेज चार पर

जिला अभिभाषक सिरोही-307001

अरोडा के नाम का होना बताया। पीपों को खोलकर निरीक्षण करने पर पीपों में रखे हुए खाद्य पदार्थ मावा (खोया) में मिलावट का शक होने पर आवेदक श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री पूराराम पुत्र भबूताराम कुमावत, फर्म आशापुरा स्वीटस्, बस स्टेण्ड, शिवगंज, श्री किशनसिंह, वाहन चालक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर व श्री लादू सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्राम राडबर, तहसील- शिवगंज के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता संजय कुमार अरोडा पुत्र श्री मोहनलाल अरोडा को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी तथा एक किलोग्राम मावा (खोया) तीनों पीपे खोलकर एकरुप कर स्टील की भगोनी में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 220/- (अक्षरे रुपये दो सौ बीस मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता संजय कुमार अरोडा को नकद अदा किये व क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद व बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता संजय कुमार अरोड़ा एवं उक्त गवाहान तथा आवेदक श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा (खोया) को पुनः एकरुप कर प्लास्टिक की चौडे मुंहवाली साफ सूखी चार शीशीयों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक शीशी मे 20 बूंदे फार्मलीन डालकर इन शीशीयों को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-701, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता संजय कुमार अरोडा एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों शीशीयों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-701 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूनें को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता संजय कुमार अरोडा व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता संजय कुमार अरोडा, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संजय कुमार अरोड़ा पुत्र श्री मोहनलाल अरोड़ा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज से खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) के चारों नमूना भागों को लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। आवेदक श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.10.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री देवाराम, एम.पी. डब्लयू., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 25.10.2016 को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 24.10.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) नमूना संख्या S-701 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1282/Act/2016/1314 दिनांक 15.11.2016 के अनुसार आवेदक श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संजय कुमार अरोडा पुत्र श्री मोहन लाल अरोडा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का नमूना अमानक स्तर (Substandard) का पाया गया है। अभियुक्त संजय कुमार अरोडा ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया तथा न ही अभियुक्तगण ने इस न्यायालय में उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) के क्रय का बिल प्रस्तुत किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, हलवाई बाजार, शिवगंज का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र अभियुक्त मोहनलाल पुत्र श्री शंकरलाल अरोडा के नाम से है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त संजय कुमार अरोडा पुत्र श्री मोहन लाल अरोड़ा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, मेन बाजार, शिवगंज एवं अभियुक्त संख्या-2 की फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, हलवाई बाजार, शिवगंज ने अमानक स्तर (Substandard) का खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-51 के तहत अभियुक्त संजय कुमार अरोड़ा पुत्र श्री मोहन लाल अरोडा, निवासी-

.....पेज छः पर

सिरोही-307001.

हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही तथा श्री मोहन लाल अरोडा पुत्र श्री शंकर लाल अरोडा, निवासी- 31 अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म जगदीश रेस्टोरेन्ट, हलवाई बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर संयुक्त रुप से राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। उक्त अभियुक्त संजय कुमार अरोडा पुत्र श्री मोहन लाल अरोडा एवं श्री मोहन लाल अरोड़ा पुत्र श्री शंकर लाल अरोडा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्टीयकृत बैक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

20/12/17

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही